in the Rajya Sabha on the 23rd March, 1988 and state:

(a) what was the frequency of Route No. 660 in the month of January, 1987 and what is its present frequency;

(b) whether it is a fact that the frequency of this Route has been curtailed, if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the number of scheduled trips on Route numbers 602, 603, 623, 640, 641, 660 and 777 varies every month if so, the the reasons therefor; and

(d) whether it is a fact that there has been continuous decrease in the number of scheduled trips of the above routes since November, 1987, if so, the reasons therefor and the steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) The frequency of Route No. 660 was 26/52 minutes in the month of January 1987 and it is maintained at present.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Except in the case of route numbers 602 and 660, there has been no decrease in the number of scheduled trips in respect of other routes. In case of route no. 602 the decrease from 96 scheduled trips to 60 trips per day has been because of bifurcation of the route into two routes (nos. 602 & 603). By this bifurcation the actual scheduled trips of both the routes have increased from 96 to 120. As regards route 660, 16 extra trips were in operation but these had to be curtailed because of low traffic. The scheduled 64 trips are still being operated.

स्थगित और विलम्बित रेल-परियोजनाएं

343. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल परियोजनाओं तथा रेल लाइनों के परिवर्तन से सम्बन्धित परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान उन पर कार्य आरम्भ होने के बाद किसी न किसी कारण से स्थगित अथवा विलम्बित कर दिया गया है तथा उन परियोजनाओं को पूरा किये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या समयावधि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सहायतार्थ किसी अन्य देश से कोई बातचीत अथवा समझौता किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

देश में संरक्षित इमारतें/भग्नावशेष

314. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में संरक्षित इमारतों और भग्नावशेषों की संख्या कितनी है और उन पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाती है तथा क्या यह धनराशि इस प्रयोजनार्थ यथेष्ठ है ;

(ख) ऐसे अन्य भग्नावशेषों की संख्या कितनी है जिन्हें संरक्षित भग्नावशेष घोषित किये जाने की संभावना है और ये भग्नावशेष किन-किन राज्यों में अवस्थित हैं ; और

(ग) इस धनराशि में वृद्धि करने और साबरमती के हरिजन आश्रम गांधी जी की जन्मस्थली कीर्तिमंदिर, और दांडी स्मारकों को संरक्षित घोषित कर उनके अनुरक्षणार्थ अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए क्या योजनायें बनायी गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री ऐल० पी० शाही) : (क) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों की संख्या की राज्यवार सूची विवरण I में दी गई है [नीचे देखिए]

पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी मरम्मत और रख-रखाव पर व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :—

	रुपए
1985–86	4,14,71,000
1986–87	5,92,96,000
1987–88	6,10,74, 00 (अस्थायी)

अलग-अलग स्मारकों की आवश्यकताओं और मरम्मत के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर मंजूरशुदा बजट अनुदान से आवंटन किया जाता है ।

(ख) संरक्षण के लिए अनुमोदित स्मारकों/स्थलों की संख्या की राज्यवार सूची विवरण-II में दी गई है । [नीचे देखिए]

(ग) साबरमती स्थित हरिजन आश्रम कीर्ति मन्दिर और दांडी स्मारकों को संरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पोरबन्दर स्थित गांधी जी का जन्म स्थान संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी देख-रेख और अनुरक्षण किया जा रहा है ।

विवर—I

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्मारकों/स्थलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	134
असम	49
अरुणांचल प्रदेश	5
बिहार	76
दिल्ली	164
दमन और दीव	7
गोआ	25
गुजरात	196
हरियाणा	86
हिमाचल प्रदेश	33
जम्मू और कश्मीर	63
केरल	28
कर्नाटक	503
मध्य प्रदेश	318
महाराष्ट्र	283
मणिपुर	1
मेघालय	8
नागालैण्ड	4
उड़ीसा	67
पांडिचेरी	8
पंजाब	24
राजस्थान	150
तमिलनाडु	402
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	780
पश्चिम बंगाल	110

विवरण—II

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्मारकों/ स्थलों की संख्या
बिहार	1
दिल्ली	1
दमन और दीव	4
गुजरात	2
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	3
मध्य प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	1
उड़ीसा	1
पंजाब	1
राजस्थान	1
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	3
सिक्किम	3

Dues charged by Public Schools in Delhi

345. SHRI MIRZA IRSHADBAIG: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the management of Public Schools are charging monthly dues without any proportion in Delhi;

(b) if so, whether Government are also aware of the prevailing dissatisfaction among middle class working categories;

(c) what steps Government propose to take in this regard; and

(d) if not, the reasons for not keeping check on Public Schools?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (d) The term 'Public School' is frequently used for high fees charging, unaided and generally English medium schools. The fees in these recognised unaided schools have increased in past some year. This is due to the fact that the unaided schools have to meet the increasing expenses mostly out of the income from fees only. The Director of Education is the competent authority under sub-section (3) of Section 17 of Delhi School Education Act, 1973 to approve enhancement of fees by recognised unaided schools if the same is sought during the academic session. The Delhi Administration is planning to assume powers under the law to provide for prior approval of increase in fees even at the commencement of the academic session.

Foreign Contracts with Railways

346. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the number of foreign contracts that are on hand with Railways for (i) technical know-how and other services given by Indian Railways, (ii) for supply of materials like coaches, wagons, axles, wheels etc. and (iii) contract for installations of Railway lines etc.;

(b) what is the amounts of contract of above works; and

(c) what is the year-wise figures of works done by Indian Railways during last three years in above areas?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) None.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Affect of discontinuance of Bombay-Madras Janata Express

347. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: